अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का न्यायालय

17

आर0ई0आर केश सं0– 25/17–18
विश्वनाथ साह बनाम् अर्जुन तांती वगै0
:–आदेश–:

09.04.2024

प्रस्तुत वाद आवेदक विश्वनाथ साह, पे0–स्व0 महादेव साह, सा0–रून्जी, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा–रून्जी नं0– 255 जमाबंदी नं0–116 एवं 120 दाग नं0–394 रकवा–00–05–05 धूर भूमि, दाग नं0–395 रकवा–00–01–18 धूर भूमि, दाग नं0–396 रकवा–00–04–16 धूर भूमि, दाग नं0–397 रकवा–00–01–09 धूर भूमि से विपक्षी (1)अर्जुन तांती (2)भीम तांती (3)विशेश्वर तांती तीनो पे0–स्व0 विद्या तांती सभी सा0–रून्जी, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिलाने का अनुरोध किया है। विपक्षी अर्जुन तांती की मृत्यु उपरांत उनके पुत्र रंजीत दास द्वारा पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया। तद्नुसार अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा उभय पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष उपस्थित हुए तथा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारणपृच्छा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि मौजा–रून्जी नं0– 255 जमाबंदी नं0–120 एवं 116 सर्वे पर्चा में शिवगुलाम भगत पे0–किशुन भगत एवं रघुनन्दन भगत पे0–शिवगुलाम भगत के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के पोता एवं परपोता है। प्रथम पक्ष अपने पूर्वजो के जमीन का अद्यतन खजाना देते चले आ रहे है। विपक्षीगण उक्त जमीन को जबरन हड़प लिए है, जबकि विपक्षीगण का प्रथम पक्ष से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही प्रथम पक्ष की जाति के है। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि का पर्चा, मालगुजारी रसीद की छायाप्रति समर्पित करते हुए प्रासंगिक भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रासंगिक वाद विपक्षी से चलने योग्य नहीं है। उक्त भूमि बसौड़ी भूमि है। प्रासंगिक भूमि विपक्षीगण के पिता को 23.02.1935 से ही प्राप्त है। प्रासंगिक भूमि पर विपक्षीगण मकान बनाकर वसोवास कर रहे है। साक्ष्य के रूप में पर्चा की छायाप्रति समर्पित करते हुए प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने पत्रांक–30/रा0 दिनांक–13.01.2024 द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि मौजा–रून्जी, थाना नं0–225 के जमाबंदी नं0 खाता बसौड़ी पेज नं0–122 जिसका दाग नं0–394,395,396, एवं 397 जिसका कुल रकवा–00–13–08 धूर भूमि सर्वे सेटेलमेंट पर्चा के खेसरा पंजी में जमाबंदी रैयत शिवगुलाम भगत, किसन भगत वो रघुनन्द भगत, पिता–शिवगुलाम भगत के नाम से पर्चा में दर्ज है। आवेदक मौजा– रून्जी के खाता बसौड़ी पेज सं0–122 के शिवगुलाम भगत वो किसुन भगत वो रघुनन्द भगत पिता–शिवगुलाम भगत के पोता है। जिसका सत्यापन ग्रामीणो द्वारा किया गया है। जाँच के क्रम में विपक्षीगण से दस्तावेज का मांग किया गया जिसमें ग्रामीणो का

8

पंचनामा दिखाया गया है, जो वैध नहीं है। वर्तमान में वर्णित दाग नं0–395 के अंश पर पूर्व से विपक्षीगण का मकान अवस्थित है जो कच्चा, पक्का संरचना में है, जिसमें विपक्षीगण वर्तमान में निवास कर रहे है। शेष मध्य भाग वर्तमान में खाली है, जो कि विपक्षी इस वंशावली के अन्तर्गत नहीं आते है न तो इस भूमि से कोई सरोकार है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के आधार पर प्रासंगिक भूमि आवेदक की रैयती भूमि रहने के कारण आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकृत करते हुए प्रासंगिक भू–भाग से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है। तदनुसार प्रासंगिक भूमि पर एक माह के अंदर आवेदक को दखल दिलाने हेतु अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को सूचित करें।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

3/5/23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

3/5/23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Bande Kr. Singh Adv.
22/6/24
22/06/24

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:05:33 +05:30
Location: 192.168.1.51